(213) रामलल्लू/कल्ला / को अवेक्षित

कमिश्नर ऑफिस
रीवा संभाग, रीवा म० प्र०
13 FEB 2012

(34) 37

न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म.प्र.

5
11-5-12

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

राजस्व मण्डल 1293 आवक क्र. दिनांक 11-5-12

R-1574-I/12

रामलल्लू पिता रामविशाले साहू निवासी ग्राम हर्रहवा तहसील एवं जिला सिंगरौली म.प्र.

....निगरानीकर्ता.

बनाम

केवला पिता लोलर साहू निवासी ग्राम हर्रहवा तहसील एवं जिला सिंगरौली म.प्र.,

2. म.प्र. शासन

...उत्तरवादीगण

कामता प्रसाद गुप्ता
13-2-2012

Supdt.
Commissioner's office
Rewa Division

630
13-2-12 अपर आयुक्त, रीवा कमि० रीवा से प्राप्त 9/5/2012

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् कलेक्टर साहब जिला सिंगरौली म.प्र. के प्रकरण क्र. 48/निगरानी 2011-2012 आदेश दिनांक- 26.12.2011,

अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालयकी कार्यवाही विधि प्रक्रिया के विपरीत होने से आलोच्य आदेश दिनांक-26.12.2011 निरस्तगी के है ।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने इसके पूर्व भी आवेदन दिया था कि भूमि आराजी नं. 416/2 रकबा 0.23ए. एवं 416/1

(36)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 1574-I/12 जिला - सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6/2/19	इस प्रकरण में दिनांक 23/8/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 48/निग./2011-12 में पारित आदेश दिनांक 26-12-2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अत: नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/4/2019 को रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । घोषित (हस्ताक्षर) सदस्य 6/2/19	